

SIDBI - Charter of Committees of the Board

IN ACCORDANCE OF SEBI (LODR) AND VOLUNTARY COMPLIANCE OF RBI CIRCULAR NO.- RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 DATED APRIL 26, 2021

	Composition	Brief description of terms of reference	Ir	nvitee/Quorum/Meetings etc.
	Audit Committee (AC)			
]	have minimum three members of which 2/3 rd shall be Independent/ non executive Directors.	The role of the Audit Committee shall include the following. A. Financial Statement: 1) Overview of the SIDBI financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.	2)	Invitees: CFO, Finance Head, Board Secretary and Auditor's Quorum: One third or three members.
2	Audit committee shall be independent / non executive director who shall not be a member of any committee of the Board which has a mandate of sanctioning	 Review of the periodical financial statement before submission to the Board. Review of the annual financial statements and auditor's report thereon with particular reference to: matters required to be included in the directors' responsibility statement as a part of the board's report. changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same. major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management. significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings. 	3)	whichever is higher.
	member of the Audit	 3.5. compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements. 3.6. disclosure of any related party transactions. 3.7. modified opinion(s) in the draft audit report. 		
2	On All Members of the Audit Committee shall be financially literate and at least one member shall	 3.8. related party transactions. 3.9. Inter corporate loans and advances. B. Internal Control & Audit: to review the functioning of the whistle blower mechanism. 		

	Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
5)	related financial management/Professional expertise. The Members of the Audit Committee shall elect a Chairman from amongst themselves, who shall necessarily be an Independent Director where regular chairperson is not appointed or could not attend the meeting. The Company Secretary shall act as Secretary to the Committee Meetings.	 to review internal audit reports relating to internal control weaknesses and management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors. reviewing the adequacy of internal audit function including coverage and frequency of internal audit. reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board. reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process. reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue. recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors. approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors. to review management discussion and analysis of financial condition and results of operations. evaluation of internal financial controls and risk management systems. to review the performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems. to grant omnibus approval of the routine related party transactions. approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties. scrutiny of inter-corporate loans and investments. Defaults/ Deviations etc: to look into the reasons for substantial defaults in the payment, if any, to the depositors, debenture holders/shareholders and statutory dues. to review the action taken on inspections report of RBI (DoS). to review cases if any of frauds and action taken thereof. 	

·	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
	4) quarterly statement of deviation(s) including report submitted to exchange.	
Risk Management Committee (RiMC)	
2) The Chairperson of the RiMC shall be an independent / non-executive director and a member of the Board.	risks and policies for ALM, Investment, ICAAP and such other policies having	 Invitees: Legal or other Professionals or Outside Experts, if required. Quorum: One third or two members, whichever is higher Meeting: at least once in a quarter.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
	6) Provide guidance / directives on the matters raised by ERMC / ALCO.	
	7) Review risk capital charge calculation methodology (ICAAP) and impact on Bank's capital.	
	8) Review profiles of risks across the organization and review adherence to the risk limits specified by the Board.	
	9) Approve development, implementation and modification of credit and operational risk measurement/ assessment, methodologies, models, tools and frameworks as well as framework for periodic validation of any risk measurement/ management model implemented in the Bank.	
	10)To minimize the risks at borrower level and portfolio level, approve the lendable / investment rating grades and set up the exposure limit structure in line with the Bank's risk appetite and monitor compliance.	
	11) Approval for roll-out of New Products and modifications in existing Products based on the recommendation of Product Innovation and Review Committee (PIRC), except the proposals under Test Marketing which are approved by PIRC.	
Nomination & Remuneration	Committee (NRC)	
The composition of NRC shall be as follows: 1) the committee shall comprise of at least three directors. 2) all directors of the committee shall be independent / non-executive directors and	 The role of NRC shall include the following. To consider and approve the payment of Performance Linked Incentive to Whole Time Directors (CMD and DMDs) of the Bank in terms of the guidelines provided by Government of India. To recommend to the Board to co-opt such number of directors, not exceeding four, under first provisos of section 6 (1) (f) of SIDBI Act, To recommend to the Board regarding extension/ continuation of the term of such appointment of the co-opted directors, on the basis of the report of performance evaluation of such directors. To formulate criteria for evaluation of performance of the board of directors; 	 Quorum: One third or two members, whichever is higher. Meeting: at least once in a year.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
3) the chairperson of the Board, whether executive or non-executive, shall not be chairperson of the committee.		
	IN ACCORDANCE WITH SEBI LODR	
Stakeholder Relationship Con	nmittee (SRC)	
non-executive director.	The role of the committee shall include the following. 1) Resolving the grievances of the security holders of the SIDBI including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. 2) To Review measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders. 3) To review the adherence to the service standards adopted by the SIDBI in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent. 4) To review of the various measures and initiatives taken by SIDBI for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher. 2) Meetings: at least once in a year.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
	INTERNAL COMMITTEE OF SIDBI PRESCRIBED UNDER SIDBI ACT, 1989	
Executive Committee (EC)		
1) The executive committee shall have minimum three members comprised of the followings. 1.1. Chairman and Managing Director 1.2. The Whole-time Directors and 1.3. At least one other director	 The role of executive committee shall be as follows: Approval of credit and investments related proposals (under various schemes of assistance) as per credit exposure norms/delegation. Sanction of refinance assistance to Banks/SFB involving relaxation in norms beyond the relaxable caps prescribed under the scheme. Sanctions, OTS, restructuring etc to Banks and SFCs under Institutional Finance. Proposals for approval / sanction of exposure and securitization/ assignment of specified portfolio w.r.t NBFCs under Institutional Finance. Approval of proposals involving any relaxation in benchmark norms for sanction, eligibility parameters and other parameters for sanction as per DoP and proposals involving Connected Lending provisions. Sanction of commitments to SEBI registered Alternative Investment Funds on the recommendation of Venture Capital Investment Committee. Disinvestment of equity stake in TCOs below reserve price Approval of One Time Settlement (OTS) involving principal sacrifice as per DoP approved from time to time. Approval of other in the settlement of Wilful default /Non-Cooperative / fraud cases. Approval of reduction in rate of interest on OTS amount / waiver of such interest under all schemes of OTS for OTS cases sanctioned by Executive Committee. Approval of list of assets for sale to Banks/ Fls/ NBFCs/ ARCs as per DoP approved from time to time, and 	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher, including at least one independent / non executive director. 2) Meetings: Need based.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
	12)The Executive Committee shall discharge such functions as may be prescribed or as may, be delegated to it by the Board from time to time.	
СОММІТ	LEES CONSTITUTED IN TERMS OF RBI GUIDELINES OR AS DECIDED BY THE BANK / E	BOARD
Recovery Review Committee	(RRC)	
1) The RRC shall be constituted in the following manner. 1.1. CMD as Chairman of the Committee, 1.2. Two DMDs, 1.3. At least one other director	The Recovery Review Committee shall review the NPA cases having principal outstanding of ₹5 crore and above and SMAs, restructured accounts.	1) Quorum: One third or two members, whichever is higher. 2) Meetings: At least once in a quarter.
Review Committee on Wilful D	Defaulters & Non Cooperative Borrowers (RCWD&NCB)	
The RCWD & NCB shall have minimum three directors with CMD as chairman of the committee and other two directors shall be co-opted directors.	To review the orders passed by the Committee for Identification of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers for identifying cases as wilful defaulters & non-cooperative borrowers. The Committee will also review, on half-yearly basis, cases of wilful default and non-cooperative borrowers and declassification, if any, thereof.	Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: Need based.
Special Committee of the Boar	rd for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)	
The composition of SCBMF shall be as follows: 1) The committee shall have minimum three members from the Board, consisting of a	 The SCBMF shall: Oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank. Review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds. 	Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: At least once in a quarter.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
whole-time director and a	3. Monitor and review all frauds so as to	
minimum of two independent directors/ non-executive directors.	 examine categories/trends of frauds, industry/sectoral/ geographical concentration of frauds, etc. 	
2) The Committee shall be headed by one of the	 Identify systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same. 	
independent directors / non-executive directors.	 Identify the reasons for delay in detection/ classification of frauds, if any, reporting to top management of the bank and RBI. 	
	 Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position. 	
	 Ensure that staff accountability is examined/ concluded without delay at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time. 	
	 Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls. 	
	 Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds. 	
Customer Service Committee	(CSC)	1
The CSC shall have minimum three members comprised of the followings: 1) CMD 2) At least one DMD 3) At least one other director	The Customer Service Committee shall review the status of customer service in the Bank and suggest measures to improve quality of customer services. The Committee also monitors the customer grievances and timely resolution thereof.	1) Quorum: One third or two members whichever is higher. 2) Meetings: At least once in a quarter.
IT Strategy Committee (ITSC)		
		Τ
1.1. The IT Strategy Committee shall have	The role of ITSC shall include the following.	Invitees: CISO / CTO / External expert.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.
minimum two directors as members, at least one shall be an independent/non-executive director. 1.2. IT Strategy Committee members should be technically competent. Technically competent herein will mean the ability to understand and evaluate technology systems. 1.3. At least one member should have substantial IT expertise in managing technology. 1.4. The Committee would be chaired by an independent/non-executive director.	2) Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.	 Quorum: One third or two members whichever is higher. Meetings: At least one meeting in a quarter and not more than 120 days shall elapse between any two consecutive meetings.

Composition	Brief description of terms of reference	Invitee/Quorum/Meetings etc.	
Committee on "Sustainable De	Committee on "Sustainable Development Goals" (CSDG)		
shall have at least three members as under: 2) At least 1 DMD 3) At least one independent	The committee on "Sustainable Development Goals" shall formulate strategy for the Bank for helping the MSMEs / stake holders achieving SDGs. It shall monitor and review the initiatives of the Bank related to SDG and guide the Bank for effective implementation of SDG agenda particularly climate change, carbon neutrality, sustainability, etc. It shall also guide and supervise development of guidelines for environmental, social, and governance (ESG), relevant for MSME Sector and monitor implementation thereof.	two members whichever is higher. 2) Meetings: Need based.	

* * *



सिडबी – निदेशक मण्डल की समितियों का चार्टर

सेबी (एल	ओडीआर) के अनुसरण में और दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओ आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के स्वैच्छिक अनुपालन में	आर.जीओवी.
लेखा परीक्षा समिति (एसी)		
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
 तेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे। तेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे जो निदेशक मण्डल की ऐसी किसी भी समिति का सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें ऋण एक्सपोजर की मंजूरी का अधिदेश प्राप्त होगा। निदेशक मण्डल का अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे। लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय सूझ-बूझ से संपन्न होंगे और इसके कम से कम एक सदस्य को लेखांकन अथवा तत्संबंधी प्रबंध/ व्यावसायिक विशेज्ञता प्राप्त होगी। 	लेखापरीक्षा समिति की भूमिका निम्नवत होगी: ए. वित्तीय विवरणियाँ: 1) सिडबी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का विहंगावलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं। 2) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आविधक वित्तीय विवरण की समीक्षा। 3) विशेष रूप से निम्नांकित के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा: 3.1. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में 'निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरणो' में शामिल किए जाने वाले मामले। 3.2. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में यदि कोई संशोधन हुए हों, तो कारण सहित उनका उल्लेख। 3.3. प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर लगाए गए अनुमानों वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां। 3.4 लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरणियों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन। 3.5. वित्तीय विवरणियों से संबंधित स्वीबद्धता एवं अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन। 3.6. किसी भी संबंधित पक्षकार के लेनदेन का प्रकटीकरण। 3.7. प्ररूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत। 3.8. संबंधित पक्षकार लेनदेन। 3.9. अंतर्नेगम ऋण और अग्रिम। वी. आंतरिक नियंत्रण एवं लेखापरीक्षा: 1) व्हिसल ब्लोवर कार्यप्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना। 2) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण अक्षमताओं संबंधी प्रबंधन पत्रों / आंतरिक नियंत्रण अक्षमताओं के पत्रों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा कर्रना। 3) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की विफलता है और मामले को	 आमंत्रिती: मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्त प्रमुख, निदेशक मण्डल सचिव, और लेखापरीक्षक गणपूर्ति: एक तिहाई या तीन सदस्य जो भी अधिक हो। बैठकें: तिमाही में न्यूनतम एक बैठक और किन्हीं दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

- 5) जहां नियमित अध्यक्ष नियुक्त न हुए हों या बैठक में उपस्थित न हुए हों, वहां लेखापरीक्षा समिति के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जो अनिवार्यतया एक स्वतंत्र निदेशक होगा।
- 6) कंपनी सचिव सिमिति की बैठकों के सिचव के रूप में कार्य करेगा।

- निदेशक मण्डल को रिपोर्ट करना।
- 5) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- 6) एक विषय विशेष के रूप में निधियों के उपयोग / अनुप्रयोग की विवरणी की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- 7) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की अवधि से संबंधित संस्तुति करना।
- 8) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी भी सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की मंजूरी प्रदान करना।
- 9) प्रबंधन के साथ विचार विमर्श और वित्तीय स्थिति और परिचालनों के परिणामों के विश्लेषण की समीक्षा करना।
- 10) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- 11) सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना

सी. संबंधित पक्षकार लेनदेन / अंतर्नेगम ऋण और निवेश:

- 1) नियमित संबंधित पक्ष लेनदेन की बहुप्रयोजनीय मंजूरी प्रदान करना।
- 2) संबंधित पक्षकार लेनदेन पर आधारित किसी भी मामले पर संस्तृति करना।
- संबंधित पक्षकारों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन का अनुमोदन या कोई परवर्ती संशोधन।
- अंतर्नेगम ऋण और निवेश की संवीक्षा।

डी. चूक / विचलन, इत्यादि:

- 1) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों/शेयरधारकों और सांविधिक देय राशियों के भुगतान में हुए महत्वपूर्ण विलंब/ चूक , यदि कोई हो तो, के कारणों की जाँच करना।
- 2) आरबीआई (डीओएस) की निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी के मामलों, यदि कोई हों तो, तथा उनपर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 4) तिमाही विचलन विवरणी और एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा करना।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरआईएमसी)			
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि	
 आरआईएमसी में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमे से बहुमत में स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक होंगे। आरआईएमसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जो निदेशक मण्डल के भी सदस्य होंगे। 	उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) नीति के अनुसार होंगी। वर्तमान ईआरएम नीति के अनुसार, आरआईएमसी की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे- 1) ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंध नीतियां बनाना, आस्ति देयता प्रबंध, निवेश, आईसीएएपी और ऐसी अन्य नीतियों के लिए नीतियाँ तैयार करना जो बैंक के सामने आने वाले जोखिमों (जैसे सुरक्षा और संपार्श्विक प्रबंध नीति आदि) को प्रभावित करती हैं और निदेशक मण्डल	 आमंत्रिती: विधिक अथवा अन्य प्रोफेशनल अथवा बाहरी विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो तो। गणपूर्ति: एक तिहाई अथवा दो सदस्य जो भी अधिक हो। बैठकें: तिमाही में न्यूनतम एक 	

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनअ	9) बैंक में कार्यान्वित किसी भी जोखिम माप/प्रबंधन मॉडल के आविधक सत्यापन के लिए ऋण और परिचालन जोखिम माप/मूल्यांकन, कार्यप्रणाली, मॉडल, उपकरण और ढांचे के विकास, कार्यान्वयन और संशोधन को मंजूरी देना। 10) उधारकर्ता के स्तर पर और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिमों को कम करने के लिए, उधार देने योग्य / निवेश रेटिंग ग्रेड का अनुमोदन करना और बैंक की जोखिम क्षमता के अनुरूप एक्सपोजर सीमा संरचना निर्धारित करना और उसके अनुपालन की निगरानी करना। 11) उत्पाद नवाचार और समीक्षा समिति (पीआईआरसी) द्वारा अनुमोदित परीक्षण विपणन के अंतर्गत प्रस्तावों को छोड़कर पीआईआरसी की सिफारिशों के आधार पर नए उत्पादों के रोल-आउट और मौजूदा उत्पादों में संशोधन के लिए अनुमोदन।	
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
एनआरसी का गठन निम्नानुसार होगाः 1) सिमिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे। 2) सिमिति के सभी सदस्य स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे और 3) निदेशक मण्डल के अध्यक्ष, चाहे वे कार्यपालक हों अथवा गैर-कार्यपालक, सिमिति के अध्यक्ष नहीं होंगे।	एनआरसी की भूमिकाएँ निम्नवत होंगी: 1) बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (अध्यक्ष एवं प्रबद्ध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकगण) को भारत सरकार से प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर विचार करना और अनुमोदन प्रदान करना। 2) सिडबी अधिनियम की धारा 6(1) (एफ) के प्रथम परंतुक के अनुसार निदेशक मण्डल को अधिकतम चार निदेशकों के सहयोजन हेतु संस्तुति करना। 3) ऐसे सहयोजित निदेशकों की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति की अविध के विस्तार / निरंतरता के संबंध में निदेशक मण्डल को अपनी संस्तुति देना। 4) निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु मानदंडों का निर्धारण करना;	1) गणपूर्ति: समिति के एक तिहाई अथवा दो सदस्य जो भी अधिक हो; 2) बैठक: न्यूनतम वर्ष में एक बार

सेबी एलओडीआर के अनुसरण में			
हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)			
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि	
एसआरसी का गठन निम्नानुसार होगा: 1) सिमिति में न्यूनतम तीन निदेशक सदस्य होंगे जिनमे से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक / गैर- कार्यपालक निदेशक होंगे। 2) सिमिति के अध्यक्ष स्वतंत्र / गैर- कार्यपालक निदेशक होंगे।	समिति की भूमिकाएँ निम्नवत होंगी: 1) सिडबी के प्रतिभूतिधारकों की शेयरों के अंतरण/पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकें इत्यादि से संबंधित शिकायतों सहित परिवेदनाओं का समाधान करना। 2) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग हेतु की गई पहलकदिमयों की समीक्षा करना। 3) रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सिडबी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना। 4) यह सुनिश्चित करने के लिए सिडबी द्वारा किए गए उपायों और की गई पहलकदिमयों की समीक्षा करना कि कंपर्न के शेयरधारकों को लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस समय पर प्राप्त हों और ऐसे मामलों की संख्या न्यूनतम हो जिनमे लाभांश का दावा प्राप्त नहीं हो रहा है।	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य जो भी अधिक हो। 2) बैठकें: वर्ष में न्यूनतम एक बार	
	सिडबी अधिनियम, 1989 के अधीन विनिर्दिष्ट सिडबी की आंतरिक समिति	I	
कार्यकारी समिति (ईसी)			
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि	
 कार्यकारी सिमित में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे जिनमे निम्नांकित शामिल होंगे: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक गण 	कार्यकारी सिमिति की भूमिका निम्नवत होगी: 1) ऋण एक्सपोजर मानदंडों / प्रत्यायोजन के अनुसार विभिन्न ऋण एवं निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन (विभिन्न सहायता योजनाओं के अंतर्गत) 2) बैंकों / लघु वित्त बैंकों को योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई रियायत सीमाओं से अधिक छूट वाले पुनर्वित्त सहायता प्रस्तावों का अनुमोदन	1) गणपूर्ति: एक तिहाई अथवा दो सदस्य जो भी अधिक हों, और इसमें कम से कम एक सदस्य स्वतंत्र / गैर कार्यकारी निदेशक होगा।	

1.3. कम से कम एक अन्य निदेशक	 3) संस्थागत वित्त के अंतर्गत बैंकों एवं राज्य वित्तीय निगमों को मंजूरियाँ, एकबागरी निपटान, पुनर्संरचना इत्यादि। 4) संस्थागत वित्त के अंतर्गत एनबीएफसी से संबंधित एक्सपोजर एवं विशिष्ट पोर्टफोलियो के प्रतिभूतिकरण / असाइनमेंट हेतु अनुमोदन / संस्वीकृत। 5) प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार मंजूरी के लिए निर्धारित बेंचमार्क मानदंडों, पात्रता मापदंडों और अन्य मापदंडों में किसी भी छूट से जुड़े प्रस्तावों एवं संबंधित पक्ष "संबंधगत उधार" संबंधी प्रावधानों वाले प्रस्तावों का अनुमोदन। 6) उद्यम पूंजी निवेश समिति की संस्तुति पर सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के लिए प्रतिबद्धताओं की मंजूरी। 7) तकनीकी परामर्श संस्थानों (टीसीओ) में बैंक की इक्विटी का आरक्षित मूल्य से कम पर विनिवेश करना। 	2) बैठकें : आवश्यकतानुसार।
	 8) ऐसे एकबारगी निपटान (ओटीएस) का अनुमोदन जिनमें समय समय पर अनुमोदित प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार मूलधन की राशि का घाटा शामिल हो। 9) ऐच्छिक चूककर्ता/ असहयोगी/ धोखाधड़ी वाले मामलों में ओटीएस / आंशिक निपटान का अनुमोदन। 10) कार्यपालक सिमित द्वारा सभी ओटीएस योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित ओटीएस मामलों में ब्याज दर में कमी/ तत्संबंधी अधित्याग का अनुमोदन, 11) बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी/ एआरसी को बिक्री करने हेतु समय समय पर अनुमोदित प्रत्यायोजित प्राधिकारों के अनुसार अनुमोदन, और 12) कार्यपालक सिमिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो समय-समय पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या सौंपे जा सकते हैं। 	
3	गरबीआई दिशानिदेशों के अनुसरण में अथवा बैंक / निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार गठित समितियाँ	
वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)		
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
) आरआरसी का गठन निम्नानुसार किया जाएगा: 1.1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे,	वसूली समीक्षा समिति रुपये 5 करोड़ और उससे अधिक मूल बकाया वाली अनर्जक आस्तियों के मामलों तथा एसएमए, पुनर्गठित खातों की समीक्षा करेगी।	1) गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हों।

1.2. दो उप प्रबंध निदेशक, 1.3. कम से कम एक अन्य निदेशक		2) बैठकें: तिमाही में कम से कम एक बार।
इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधार	र्कर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीएंडएनसीबी)	
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
आरसीडब्ल्यूडी एंड एनसीबी में कम से कम तीन निदेशक सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष होंगे और दो अन्य सदस्य सहयोजित निदेशक होंगे।	इरादतन चूककर्ता एवं सहयोग न करने वाले उधारकर्ता की पहचान के लिए सिमति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करना ताकि ऐसे मामलों की पहचान इरादतन चूककर्ता एवं सहयोग न करने वाले उधारकर्ता के रूप में की जा सके। सिमति छमाही आधार पर इरादतन चूककर्ता एवं सहयोग न करने वाले उधारकर्ता के मामलों की समीक्षा करेगी और यदि कोई पात्र हों तो उन्हें इस श्रेणी से अवर्गीकृत भी करेगी।	 गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य जो भी अधिक हो। बैठकें: आवश्यकतानुसार।
धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं उ	ानुवर्तन के लिए निदेशक मण्डल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	
एससीबीएमएफ का स्वरूप निम्नानुसार होगा: 1) सिमिति में निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिसमें एक पूर्णकालिक निदेशक और न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे। 2) सिमिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों/गैर-कार्यपालक निदेशकों में से किसी एक द्वारा की जाएगी।	एससीबीएमएफ का कार्य निम्नवत होगाः 1. बैंक में धोखाधड़ी संबंधी जोखिम प्रबंध की प्रभावोत्पादकता की निगरानी । 2. मूल कारणों के विश्लेषण के साथ ही, धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा एवं निगरानी करना तथा आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंध ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा धोखाधड़ियों की घटनाओं को न्यूनतम करने की दृष्टि से संबंधित शमनपरक उपायों का सुझाव देना। 3. धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी और समीक्षा करना, ताकि • धोखाधड़ियों की श्रेणियों/प्रवृत्तियों, धोखाधड़ियों के उद्यमवार /क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेन्द्रण आदि की जांच करना। • धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों को सहज बनाने वाली प्रणालीगत किमयों, यदि कोई हो तो, को चिह्नित करना और उसे दूर करने के उपायों का प्रबंध करना । • धोखाधड़ियों का पता लगाने/तत्संबंधी वर्गीकरण में विलंब के कारणों को चिह्नित करना, यदि	1) गणपूर्ति: एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हों। 2) बैठकें: तिमाही में कम से कम एक बार।

	कोई हों तो, और उसे बैंक और आरबीआई के शीर्ष प्रबंध को रिपोर्ट करना। • सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति और संबंधित वसूली की स्थिति की निगरानी करना। • सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में, सभी स्तरों पर बिना किसी विलंब के स्टाफ-जवाबदेही की जांच की गई हो /उसका निष्कर्ष निकाला गया हो। साथ ही, यदि स्टाफ द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो, तो समय के अपव्यय के बगैर उसे पूरा कर लिया गया है। • धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में की गई सुधारपरक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करना, यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाया जाना। • धोखाधड़ियों के विरुद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यथा संगत अन्य उपायों का प्रबंध करना।	
ग्राहक-सेवा समिति (सीएससी)		
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
सीएससी में न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जो इस प्रकार होंगे: 1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2) कम से कम एक उप प्रबंध निदेशक 3) कम से कम एक निदेशक	ग्राहक सेवा समिति बैंक में ग्राहक-सेवा की स्थिति की समीक्षा करेगी और ग्राहक-सेवाओं में सुधार के उपाय सुझाएगी। यह समिति ग्राहकों की शिकायतों तथा उनके समय पर समाधान पर भी निगरानी रखती है।	 गणपूर्तिः एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हों। बैठकें: तिमाही में कम से कम एक बार।
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आइ	टीएससी)	
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
 1.1. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति में कम से कम दो निदेशक होंगे, जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे। 1.2. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति के सदस्य तकनीकी दृष्टि से सक्षम होने चाहिए। यहाँ तकनीकी सक्षमता से आशय है प्रौद्योगिकी-प्रणालियों को समझने और उनके मूल्यांकन की क्षमता। 	1) सूचना प्रौद्योगिकी विज़न, रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी वर्टिकल के स्वामित्व वाले आइटी के नीतिगत दस्तावेज़ों का अनुमोदन।	 आमंत्रिती: सीआईएसओ / सीटीओ / बाहरी विशेषज्ञ। गणपूर्ति: एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो। बैठकें: तिमाही में न्यूनतम एक बैठक और किन्हीं दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

 1.3. कम से कम एक सदस्य को प्रौद्योगिकी-प्रबन्ध में सूचना-प्रौद्योगिकी की पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए। 1.4. समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र/ गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाएगी। 	उद्देश्य से जोखिम व लाभ का संतुलन कायम रहे और बजट स्वीकार्य हों (अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी के बजट निदेशक-मण्डल को संस्तुत हों)। 7) रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसाधनों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धितयों की निगरानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसाधनों की प्राप्ति व उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशानिर्देश प्रदान करना। 8) सूचना प्रौद्योगिकी के जोखिमों तथा नियंत्रणों के बारे में जागरूक बनना और उन जोखिमों की निगरानी के संबंध में प्रबन्धन की निगरानी की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन। 9) बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के समग्र निधीयन की देखरेख तथा यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धन के पास संसाधन हैं अथवा नहीं। 10) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनिष्पादन के उपायों तथा व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान (अर्थात् सुनिधीरित मूल्य के मुताबिक) की समीक्षा। 11) सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष समिति के रूप में भी काम करेगी। वह सूचना सुरक्षा योजना के संबंध में रणनीतिक और वित्तीय निर्णय करेगी, तािक बैंक में सूचना सुरक्षा का संतोषजनक स्तर कायम रखा जा सके। 12) सूचना सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संरचना की स्थापना, तािक सूचना सुरक्षा सतत व प्रभावी रूप से क्रियान्वित होती रहे। 13) सशक्त साइबर सुरक्षा प्रणाली व प्रकियाओं की स्थापना । 14) सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संगठनात्मक प्रक्रियाओं की स्थापना तथा सफल सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना।	
"संधारणीय विकास लक्ष्य" संबंधी समिति		
		.0.0
संघटन	कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण	आमंत्रिती/गणपूर्ति/बैठकें आदि
सीएसडीजी समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जो निम्नवत होंगेः	'संधारणीय विकास लक्ष्य समिति' एमएसएमई/हितधारकों द्वारा एसडीजी प्राप्त करने के लिए बैंक की रणनीति तैयार करेगी। यह एसडीजी से संबंधित बैंक के प्रयासों की निगरानी व समीक्षा करेगी और एसडीजी एजेंडा, खासकर	 गणपूर्ति: एक तिहाई अथवा दो सदस्य, जो भी अधिक हो।

* * * .